न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प सागर म0प्र0

अपील - 1104 - II - 16

61

1- उदयभान वल्द श्यामलाल आदिवासी (गौड)

2- गुड्डी बाई पुत्री श्यामलाल आदिवासी (गौड)

दोनो निवासी ग्राम चौकी तहसील राहतगढ जिला सागर म0प्र0

— अपीलार्थी गण

// विरूद्ध //

म0प्र0शासन — प्रति अपीलार्थी

अपील अंतर्गत धारा 44 (2) म0प्र0भू0राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थी गण अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान कमिश्नर महोदय सागर संभाग सागर के द्वारा अपील प्र0क्र0 84/अ-21/ वर्ष 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 18-2-2016 से दुखित होकर निम्न आधारो पर यह अपील प्रस्तुत करते है ।

//प्रकरण के तथ्य //

1- यहकि अपीलार्थी गण ग्राम चौकी तहसील राहतगढ जिला सागर के स्थाई निवासी है मौजा चौकी ह0नं0 29 तहसील राहतगढ जिला सागर में स्थित भूमि जिसका खसरा नंबर 202 रकवा 0.580 है0 तथा ख0नं0 209, रकवा 0.400 है0 अपीलार्थी गणो के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है । अपीलार्थी गणो को शासन द्वारा उक्त भूमि पट्टे पर दी गई थी किन्तु कई वर्षो से कब्जा होने के कारण शासन द्वारा उन्हे भूमि स्वामी अधिकार भी दे दिये गये थे ।

27-4-16
@dubey
29-3-16.

2- यहकि चूंकि उपरोक्त भूमि उबड खाबड पथरीली भूमि है । इसलिए अपीलार्थी गणो ने दिनांक 27-4-2013 को उक्त जमीन को विक्रय करने बाबत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेष पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 1101–दो/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-11-2016	अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपर आयुक्त सागर के प्रकरण कमांक 84/अ–21/14–15 में पारित आदेश दिनांक 18–2–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ अपीलार्थी अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि ग्राम चौकी तहसील राहतगढ जिला सागर स्थित भूमि सर्वे कमांक 202 रकवा 0.580 हे0 तथा ख0कं0 209 रकवा 0.400 हे0 अपीलाटों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलार्थियों को उक्त भूमि पट्टे में प्राप्त हुई थी। उक्त भूखण्ड उबड खाबड पथरीली भूमि है इसलिए अपलार्थीगण ने दिनांक 27–4–13 को विकय करने बावत आवेदन कलेक्टर सागर को प्रस्तुत किया। कलेक्टर सागर ने प्रकरण की विधिवत जांच न करतेहुये मनमाने तरीके से दिनांक 9–12–14 को प्रकरण में आदेश पारित अपीलार्थी का आवेदन निरस्त कर दिया। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 18–2–16 को यह निष्कर्ष निकालते हुये कि संहिता की 165 में संशोधन किया जा चुका है शासकीय पटटे पर प्रदत्त भूमि को अंतरित करने की वांछा रखने तथा राजस्व अभिलेख मे अहस्तांतरिणीय के रूप में अभिलिखित प्रविष्टि को हटाने की लिये अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें तथा अपील विधि अनुकूल न होने से निरस्त की गई। अपर आयुक्त द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया किया कि अपर आयुक्त के समक्ष अपील संहिता की धारा 165 के अधिनियम में संशोधन के पूर्व प्रस्तुत की गई थी और प्रकरण के पूर्व से प्रचलित होने से भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकते थे बल्कि पूर्व की भांति ही कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त को अपना निर्णय पारित करना चाहिए	

A. 1101-.../16 (सागर)

था। अतः अपर आयुक्त का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर विक्रय की अनुमति प्रदान की जाये।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर के समक्ष विक्रय अनुमति बावत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह लेख किया गया था प्रश्नाधीन भूमि पथरीली एवं उबड़–खाबड होने से अपीलार्थी भूमि का विक्रय कर बेटी के विवाह के लिए ली गई राशि वापिसी एवं जीवन यापन के लिए व्यवसाय करने के लिए विक्रय करना चाहता है। अपीलार्थी ने विक्रय अनुबंध पत्र की प्रति भी आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई थी, परन्तु कलेक्टर इन बिन्दुओं पर बिना विचार किये अपीलार्थी का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त अपने आदेश में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 में हुये नवीन संशोधन का उल्लेख करते हुये अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अहस्तांतरणीय प्रविष्ट हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ अपील निरस्त की है। चूंकि अपीलार्थी की अपील उक्त संशोधन के पूर्व से प्रचलित थी इसलिए उक्त संशोधन का प्रभाव इस अपील प्रकरण पर नहीं पडता है। इसलिए अपर आयुक्त का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। जहां तक विक्रय अनुमति दिये जाने के प्रश्न है अपीलार्थी की परिवारिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का दृष्टिगत रखते हुये एवं सदभाविक रूख अपनाते हुये अपीलार्थी को प्रश्नाधीन भूमि की विक्रय की अनुमति प्रदान की जाती है। अपील स्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य